FORCES woman childcare development

WIEGO

SEWA

सभी कामगारों के लिए उच्च गुणवत्ता की सार्वजनिक बाल-सेवा

हर दिन असंगठित महिला कामगारों को उनके कार्य के दौरान नन्हें बच्चों की देखभाल संबंधित एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है। बाल देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियां उन्हें अधिकतम, अनियमित आय और कम वेतन वाले रोज़गार करने पर मज़बूर कर देती हैं, और परिणाम में कम उत्पादकता के कारण उनकी आय कम होती है। असंगठित महिला कामगार अपने घरों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक कार्य करते हैं तथा वे स्वयं और उनके बच्चों की देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पाते। गलियों में घूमने वाली फेरी-टोकरी वाली अक्सर अपने बच्चों को भीड़-भाड़ वाले शहरों में बिक्री के दौरान ले जाती हैं। घरेलू कामगार बहनें एक ही समय अपने बच्चों की देखभाल भी करते हैं और कार्य भी करते हैं, जिससे कमाई करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती हैं और इस से तनाव उत्पन्न होता है। प्रवासी घरेलू कामगार को किसी दूसरे शहर या देश में कार्य करने के लिए अपने बच्चों को परिवार के सदस्यों के पास छोड़ना पड़ता है। कूडा उठाने वाली और निर्माण कामगारों को अपने बच्चों को कूड़े के असुरक्षित ढेर और संग्रह केंद्रों में लाने या घर पर छोड़ने के बीच चयन करना पड़ता है। कृषि मज़दूर अपने बच्चों को उनके साथ खेत में ले जाती हैं या उन्हें उनके बड़ी बहनों के साथ घर पर छोड़ देते हैं, जो अपने भाई-बहनों की देखभाल करने के लिए स्कूल से दूर घर पर ही रहती हैं। अधिकांश घरेलू कामगारों और बाल देखभाल सेविका का वेतन कम होता है और वे अपने स्वयं के बच्चों के लिए देखभाल नहीं कर सकती हैं। आंगनवाड़ी कामगार और सहायक आईसीडीएस की नींव हैं और उनके स्थायी कामगार करने के लिए एक बड़ी मांग के बावजूद 'मानद कर्मचारी' माना जाता है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय सरकारें और स्थानीय अधिकारी यह समझें कि असंगठित महिला कामगार को उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक बाल देखभाल सेवाओं की आवश्यकता होती है ताकि वे कार्य भी कर सकें, अधिक आय भी अर्जित कर सकें और एक सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। असंगठित महिला कामगारों के बच्चों को जीवन में अच्छी शुरुआत करने के लिए, शिक्षा और स्वस्थ रहने के लिए देखभाल प्रदान की जानी चाहिए। बुज़ुर्ग कामगारों को भी आय अर्जित करने और युवा बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारी लिए बिना आराम करने का अधिकार है।

असंगठित महिला कामगारों को मातृत्व संरक्षण का लाभ उठाना चाहिए और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के एक भाग के रूप में बाल देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करनी चाहिए। भारत सरकार छ: वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए बाल देखभाल और विकास सेवाओं और सभी कामगारों के लिए अधिकार की गारंटी देता है।

असंगठित महिला कामगार के कार्यस्थल पर मातृत्व संरक्षण और सार्वजनिक बाल देखभाल सेवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। सार्वजनिक बाल देखभाल सेवाओं की उच्च गुणवत्ता की जाँच सरकार को पोषण, बच्चों में स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों को समाप्त करने, गरीबी दूर करने, और लिंग, वर्ग और जाति में अत्यधिक भेद-भाव को कम करके निरंतर विकास लक्ष्य (ससटेनबल डेवलपमेंट गोल्स) १, २, ३, ४, ५, ८ और १० की पूर्ती करने में सहायता करेगी।असंगठित महिला कामगार उनके संगठन और सहयोगी निम्नलिखित मुदों द्वारा राष्ट्रीय सरकार को कार्रवाई करने पर अनुरोध करते है।

• बाल देखभाल को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के एक अंग के रूप समझना और ०-६ वर्ष की आयु के बच्चों को पूरे दिन की, मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाली और समग्र बाल देखभाल प्रदान करके पुनर्संरचित एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के माध्यम से पूरे भारत में बढ़ाना सुनिश्चित करना।

• केंद्रीय और राज्य - सरकार द्वारा बालदेखभाल के लिए निवेश बढ़ाना।

• यह स्वीकार करना कि आईसीडीएस केंद्रों और डे केयर केंद्र जैसे बाल देखभाल केंद्रों में की जाने वाली बाल देखभाल एक कार्य है जिसके लिए आंगनवाड़ी सेविका सहित सभी के लिए जीविका वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (२०१३) के अनुसार ६,००० रुपये सभी महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए राज्यों को आग्रह करना।

• सामाजिक सुरक्षा पर आईएलओ कन्वेंशन १०२, सामाजिक संरक्षण के क्षेत्र में आईएलओ अनुशंसा २०२, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों वाले कामगारों पर आईएलओ कन्वेंशन १५६, मातृत्व संरक्षण पर आईएलओ कन्वेंशन १८३ को प्रमाणित करना और फिर इन्हें मातृत्व सुरक्षा, बाल देखभाल बाल लाभ के प्रावधान को लागू करने के लिए कानूनी बनाने हेतु मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग करना।

अभियान में अपनी प्रतिक्रिया और विचार देने या बाल देखभाल संबधित अपनी संस्था का अनुभव साझा करने के लिए कृपया **childcare@wiego.org** पर ईमेल करें।

क्रेश और चाइल्ड केअर सेवाओं का फॉरम **(FORCES)** एक राष्ट्रीय नेटवर्क है जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों की देखभाल जैसे मुद्दों से संबंधित ४०० से अधिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है।

स्वयं महिला सेवा संघ **(SEWA)** १९७२ में एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन है जो भारत के 14 राज्यों में 18 लाख स्वयं-रोज़गार वाली महिला कामगारों का प्रतिनिधित्व करती है।

असंगठित रोज़गार में महिलाएं: ग्लोबलाइज़िंग एंड ऑर्गनाइज़िंग **(WIEGO)** एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि असंगठित अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाले गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए आजीविका सुरक्षित करने पर केंद्रित है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया **FORCES, SEWA** और **WIEGO** वेबसाइट्स पर जाएं, जहां आप दुनिया भर की अनौपचारिक महिला कर्मचारियों की कहानियां और अनुभव प्राप्त करेंगे ।

http://www.forces.org.in

http://lokswasthya.org

http://wiego.org

@wiegoglobal

@WIEGOGLOBAL